



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 348 राँची, गुरुवार, 24 आषाढ़, 1943 (श०)
15 जुलाई, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

16 जून, 2021

संचिका संख्या-4/स.भू राँची (पी0टी0आई0)-01/2020 -1964/रा0, राँची, दिनांक-16.06.2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय:-

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-04.06.2021 में मद संख्या-27 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में राँची जिलान्तर्गत अंचल शहर के मौजा-चडरी, वार्ड सं0-01, थाना सं०-199, प्लॉट संख्या-839, रकबा-25.00 डिसमिल किस्म केशर ए हिन्द भूमि का लीज नवीकरण हेतु संगणित सलामी की राशि 2,77,332/- (दो लाख सतहत्तर हजार तीन सौ बत्तीस) रुपये तथा विभागीय संकल्प सं०-4306/रा., दिनांक- 24.10.14 के आधार पर नवीकरण के समय स्वीकृत वार्षिक लीज रेंट में 8.75 गुणा की वृद्धि कर उसे मूल वार्षिक लीज रेंट मानते हुए प्रत्येक वर्ष वार्षिक लीज रेंट Indexing Factor के आधार

पर संगणित राशि (संलग्न अनुसूची-I) प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा अदायगी पर दिनांक-
01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2049 तक 30 (तीस) वर्षों के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ
इंडिया, राँची के साथ आवासीय प्रयोजनार्थ सशुल्क लीज नवीकरण करने के संबंध में ।

आदेश:- स्वीकृत ।

- (i) लीजधारी को वर्ष 2015 से 2018-19 तक बकाया लगान की राशि 3500X4=14000/- एकमुश्त जमा करना होगा ।
- (ii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4306/रा०, दिनांक-24.10.14 में उल्लेखित शर्तों का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राँची को पालन करना होगा ।
- (iii) लीजधारी को लीज समाप्ति वर्ष से अद्यतन बकाये लगान एवं सेस की राशि निर्धारित सूचकांक के अनुसार एक मुश्त सरकारी कोष में जमा करना होगा ।
- (iv) इस लीज नवीकरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष "0029 भू-राजस्व-107" के अंतर्गत जमा होगी।
- (v) लीजधारी को आवासीय प्रयोजन हेतु शेष वर्षों के लिए लीज रेंट का निर्धारित सूचकांक के अनुसार वार्षिक लगान अलावे सेस भुगतान करना होगा ।
- (vi) भूमि मात्र आवासीय प्रयोजनार्थ ही रहेगा ।
- (vii) लीजधारी को खासमहाल मैनुएल में निहित प्रावधान तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/अनुदेशों का पालन करना होगा ।
- (viii) सरकार से लीज नवीकरण की स्वीकृति के उपरांत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राँची को विधिवत् लीज पट्टे का निष्पादन करना होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुसूची-1

1. भूमि का रकबा-25 डि० X 9,04,664.00 रुपये =2,26,16,600.00 रुपये।
2. सलामी राशि वर्तमान बाजार दर के आधार पर आवासीय प्रयोजन हेतु 2%=452332.00 रुपये।
3. पूर्व में ली गयी सलामी की राशि=1,75,000.00 रुपये।
4. सलामी की राशि (वर्तमान में सलामी की राशि-पूर्व में ली गयी सलामी की राशि)-452332.00-175000.00=277332.00 रुपये देय होगी।
5. निर्धारित वार्षिक लगान की राशि-(पूर्व निर्धारित वार्षिक लगान की राशि X8.75) 3500.00X8.75=30625.00 अलावे 145% सेस।
6. बकाया वार्षिक लगान की राशि वर्ष 2015 से 2018-19 तक 04 वर्ष X 3500.00 =14,000.00 रुपये ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।
